भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3643

उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) का कार्यान्वयन और प्रभाव

†3643. **डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:**

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

श्रीमती भारती पारधी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) द्वारा जुलाई, 2026 में सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के बीच पूर्ण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता प्राप्त कर ली गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या औद्योगिक अनुभव के वर्षों को शैक्षणिक क्रेडिट के रूप में मान्यता देने के लिए एक औपचारिक "समतुल्यता तंत्र" स्थापित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त फ्रेमवर्क के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण लोगों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में डिग्री कार्यक्रमों के तीसरे वर्ष में सीधे प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त "कौशल-डिग्री एकीकरण" से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उद्योग द्वारा वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों हेतु इन "क्रेडिट-आधारित कौशल प्रमाण-पत्रों" को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या इस एकीकृत क्रेडिट प्रणाली का अब यूरोपीय क्रेडिट अंतरण प्रणाली (ईसीटीएस) के साथ तुलनात्मक मानकीकरण किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): भारत सरकार ने समग्र, बहु-विषयक, लचीली और छात्र-केंद्रित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 तैयार की है। यह कौशल शिक्षा के एकीकरण को प्रोत्साहित करती है और पूर्व शिक्षण की मान्यता के आधार के रूप में एक विस्तृत राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) की परिकल्पना करती है।

एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप, सरकार ने प्रारंभिक, स्कूल, उच्च और कौशल शिक्षा को समाहित करने वाले एक व्यापक क्रेडिट फ्रेमवर्क के रूप में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को अनुमोदित किया है। एनसीआरएफ सभी शिक्षा और कार्य, क्रेडिट के संचय, भंडारण, अंतरण और उपयोग के क्रेडिटीकरण की व्यवस्था करता है, जो मूल्यांकन के अध्यधीन है; और कौशल, सामान्य और अनुभवात्मक शिक्षा के बीच शैक्षणिक समानता स्थापित करता है, साथ ही उनके भीतर और उनके बीच गतिशीलता को सक्षम बनाता है। एआईएसएचई 2023-24 में रिपोर्ट किए गए अनुसार, 700 से अधिक विश्वविद्यालयों और 7500 से अधिक संबद्ध कॉलेजों ने एनसीआरएफ को अपनाया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एनसीआरएफ के कार्यान्वयन के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में "उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के संचालन के लिए एसओपी" को अधिसूचित किया है। एसओपी किसी कार्यक्रम के कुल क्रेडिट का 50% तक कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों से अर्जित करने की अनुमति देता है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने अपनी अनुमोदित प्रक्रिया हैंडबुक (एपीएच) 2023-27 में, एनसीआरएफ के अनुसार तकनीकी कार्यक्रमों के लिए प्रवेश स्तर योग्यताओं के मानदंड निर्धारित किए हैं। यह 10वीं + 2-वर्षीय आईटीआई के छात्रों को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र बनाता है। इसके अलावा, इंजीनियरिंग में 2-वर्षीय स्नातक डिप्लोमा (एनसीआरएफ स्तर 5.0) रखने वाले उम्मीदवारों के लिए तृतीय वर्ष में पार्श्व प्रवेश उपलब्ध है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने "पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के लिए दिशा-निर्देश" तैयार किए हैं। ये दिशा-निर्देश आरपीएल के सहज कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करते हैं और औद्योगिक निकायों को अपने कर्मचारियों के लिए आरपीएल मूल्यांकन आयोजित करने का अधिकार देते हैं। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाता है। विशिष्ट कौशल, योग्यताओं और ज्ञान के अर्जित अधिगम परिणामों के मूल्यांकन के आधार पर क्रेडिट प्रदान किए जाते हैं।

सरकार के समन्वित प्रयासों के कारण, भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2014-15 में 23.7 से बढ़कर 2023-24 में 30 हो गया है। इसी अवधि में महिला जीईआर 22.9 से बढ़कर 31.2 हो गया। जीईआर में वृद्धि के साथ-साथ छात्र नामांकन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, कुल उच्च शिक्षा नामांकन 2014-15 में 3.42 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 4.50 करोड़ हो गया है, जिससे उच्च शिक्षा प्रणाली में 1.08 करोड़ से अधिक छात्र जुड़ गए हैं।

एनईपी 2020 एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करता है जो भारतीय मूल्यों में निहित है और सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके, भारत को एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है। एनसीआरएफ का उद्देश्य इस दृष्टि में योगदान करना है, सामान्य और कौशल शिक्षा के बीच समानता और गतिशीलता स्थापित करके, ताकि शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में आजीवन अधिगम, पूर्व अधिगम की मान्यता, अनेक प्रवेश और निकास, और निरंतर व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।
